प्रेस नोट सं0-39
दिनांक 21.10.2024
सराहनीय कार्य अमेठी पुलिस
थाना गौरीगंज पुलिस द्वारा 24 घण्टे के अन्दर हत्या का सफल अनावरण, हत्या के अभियोग में प्रकाश में आये वांछित 05 नफर अभियुक्त/अभियुक्ता गिरफ्तार।

घटना का सक्षिप्त विवरण-

दिनांक 20.10.2024 को थाना गौरीगंज पर सूचना प्राप्त हुई ग्राम गुवांवा मजरे शीतला बक्श का पुरवा थाना गौरीगंज जनपद अमेठी में बद्री प्रसाद पुत्र स्व0 छोटेलाल निवासी ग्राम पूरे शीतला बक्श मजरे गुवांवा थाना गौरीगंज जनपद अमेठी की संदिग्ध स्थिति में मृत्यु हो गयी है। थाना गौरीगंज पुलिस द्वारा मौके पर शव को पोस्टमॉर्टम हेतु भेजा गया था। मृतक की माँ श्रीमती धनाउ पत्नी स्व0 छोटेलाल की तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 353/24 धारा 103(1) बीएनएस बनाम रजनीशा एवं कुछ लोग अज्ञात पंजीकृत किया गया। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा घटना में शामिल अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु निर्देश दिए गए थे।

जनपद अमेठी में अपराध एवं अपराधियों के धर पकड़ हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 21.10.2024 को श्री श्याम नारायण पाण्डेय प्रभारी निरीक्षक गौरीगंज मय हमराह द्वारा तलाश वांछित व देखभाल क्षेत्र के दौरान मु0अ0सं0 353/24 धारा 103(1), 3/5 बीएनएस थाना गौरीगंज जनपद अमेठी में वांछित अभियुक्ता 1. रजनीशा लोध पत्नी स्व बद्री प्रसाद उम्र करीब 32 वर्ष निवासी ग्राम पूरे शीतला बक्श मजरे गुवांवा थाना गौरीगंज जनपद अमेठी को अभियुक्ता के घर से समय करीब 11:00 बजे दिन में नियमानुसार गिरफ्तार किया गया।

पूछताछ का विवरण-

पूछताछ में गिरफ्तार अभियुक्ता ने बताया कि मेरे पति को हमारे व सुभाष के साथ संबन्ध के बारे में जानकारी हो गयी थी जिस कारण मेरे पति मेरे साथ आये दिन झगड़ा व मारपीट करते थे। इसलिए हमने दिनांक 20.10.2024 की रात को अपने प्रेमी सुभाष चन्द्र व उनके साथियों 1. साहिल इन्द्र कुमार, 2. परमानन्द, 3. अनिल कुमार के साथ मिलकर रात में अपने पति बद्री प्रसाद की गला दबाकर हत्या कर दी थी। अभियुक्ता की निशानदेही पर घटना मे संलिप्त प्रकाश में आये अभियुक्त 1. सुभाष चन्द्र सरोज पुत्र हरिश्चचन्द्र उम्र करीब 32 वर्ष 2. परमानन्द पुत्र राम आसरे उम्र करीब 32 वर्ष, 3. अनिल कुमार पुत्र मेवालाल उम्र करीब 22 वर्ष निवासीगण ग्राम पूरे शीतला बक्श मजरे गुवांवा थाना गौरीगंज जनपद अमेठी, 4. साहिल इन्द्र कुमार पुत्र इन्दल राम नरेश निवासी अर्जुनपुर मजरे अन्नीबैजल थाना गौरीगंज जनपद अमेठी उम्र करीब 25 वर्ष को उनके घर से गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तारी के संबन्ध में थाना गौरीगंज पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

PRESS NOTE

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता–

1. रजनीशा लोध पत्नी स्व बद्री प्रसाद उम्र करीब 32 वर्ष निवासी ग्राम पूरे शीतला बक्श मजरे गुवांवा थाना गौरीगंज जनपद अमेठी।
2. सुभाष चन्द्र सरोज पुत्र हरिश्चचन्द्र उम्र करीब 32 वर्ष निवासी ग्राम पूरे शीतला बक्श मजरे गुवांवा थाना गौरीगंज जनपद अमेठी।
3. परमानन्द पुत्र राम आसरे उम्र करीब 32 वर्ष निवासी ग्राम पूरे शीतला बक्श मजरे गुवांवा थाना गौरीगंज जनपद अमेठी।
4. अनिल कुमार पुत्र मेवालाल उम्र करीब 22 वर्ष निवासी ग्राम पूरे शीतला बक्श मजरे गुवांवा थाना गौरीगंज जनपद अमेठी।
5. साहिल इन्द्र कुमार पुत्र इन्दल राम नरेश निवासी अर्जुनपुर मजरे अन्नीबैजल थाना गौरीगंज जनपद अमेठी उम्र करीब 25 वर्ष।

पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-

मु0अ0सं0 353/24 धारा 103(1), 3/5 बीएनएस थाना गौरीगंज जनपद अमेठी।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. श्री श्याम नारायण प्रभारी निरीक्षक थाना गौरीगंज जनपद अमेठी।
2. उ0नि0 रमापति थाना गौरीगंज जनपद अमेठी।
3. का0 सत्यम प्रजापति थाना गौरीगंज जनपद अमेठी।
4. का0 योगेश सिंह तोमर थाना गौरीगंज जनपद अमेठी।
5. का0 दीपचन्द्र थाना गौरीगंज जनपद अमेठी।
6. म0का0 सुनीता चौहान थाना गौरीगंज जनपद अमेठी।

PRESS NOTE